फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

वगतराम पिता अमरा जाति मीणा निवासी पाडनमाल बडीसादडी

बनाम

रतनलाल पिता नवन मीणा निवासी काली मगरिया तहसील बडीसादडी वगैरा

प्रकरण संख्या 11/2021 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कायम मुकाम की कार्यवाही शेष है। अधिवक्ता अपीलांट मृत्तक रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कायम मुकाम हेतु आज भी अवसर चाहते हैं चूंकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 की मृत्यु की सूचना अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 15.07.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत करने पर उसी दिवस अधिवक्ता अपीलांट को भी सूचित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। अधिवक्ता अपीलांट को मृत्तक रेस्पोडेन्ट सं.1 के कायम मुकाम हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए तथा पेशी दिनांक 24.05.2024 को न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने पर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी उसके पश्चात् भी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई पुनः पेशी दिनांक 13.06.2024 को अधिवक्ता अपीलांट को अन्तिम अवसर देने के बावजूद भी कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु न्यायहित में एक अतिरिक्त अवसर ओर दिया गया फिर भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है तथा आज और अवसर चाहा जा रहा है। चूंकि कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु 90 दिवस की अवधि निर्धारित है फिर भी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लगभग 03 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। अतः अब अपील अबेटमेंट में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	